129

संख्या– —— /XXXVI(1)/2012–760/2001

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक :13 अगस्त, 2012

विषयः जिला चमोली में आबद्ध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल बढ़ाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–र 7157/अठारह–21(2005–06) दिनांक 14–07–2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में वर्णित जिला चमोली में आबद्ध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं जिनके पद हेतु शासन के पत्र सं0–02 चार जी0/XXXVI(1)/09–760/01 दिनांक 08–06–2010 के अन्तर्गत नया पैनल मंगाये जाने का निर्णय लिया गया था, के आबन्धन पर सम्यक विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल निम्नलिखित 07 अधिवक्ताओं की आबद्धता उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर–7.08(4) के अधीन अधिकतम 05 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0सं0	अधिवक्ता का नाम	पदनाम	दिनांक
1	श्री विजय पाल सिंह नेगी	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) तहसील थराली	19–04–2009
2	श्री हरि शरण शर्मा	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) तहसील थराली	19–04–2009
3	श्री किशन सिंह फर्स्वाण	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व/सिविल) तहसील चमोली	29–04–2009
4	श्री रमेश चन्द्र सती	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) तहसील जोशीमठ	19–04–2009
5	श्री अनिल कुमार साह	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) तहसील जोशीमठ	19–04–2009

क्रमश.....2

6	श्री दुर्गेश चन्द्र भट्ट	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व/सिविल) तहसील कर्णप्रयाग	20–04–2009
7	श्री रघुबीर सिंह विष्ट	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व/सिविल) तहसील चमोली/पोखरी	29–04–2009

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है। किसी सिविल पद पर नियुक्ति नही है। राज्य सरकार किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एवं बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त जिला शासकीय अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त कर सकती है अथवा सम्बन्धित अधिवक्ताओं द्वारा भी इस आबद्धता को किसी भी समय समाप्त किया सकता है। सम्बन्धित अधिवक्ताओं द्वारा इस आशय का सहमति प्रमाण पत्र भी जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें इस शर्त पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. अतएव मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 21–03–2012 के क्रम में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के उक्त पदों के लिए नया पैनल शासन को प्रेषित न किया जाय और यदि नये पैनल हेतु आपके द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी की गयी है, तो उसे निरस्त कर दिया जाय।

5. कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०पी० गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या-०२-चार-6(1)/XXXVI(1)/2012–760/2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मा० मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2– जिला न्यायाधीश, चमोली।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
4– सम्बन्धित अधिवक्ता।
5– गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव

D:\Bhagwan folder\Dgc apointment\dgc letter.doc